फर्द अहकाम

अमेवाला बनाम जिला कलेक्टर

नाम न्यायालय

केस संख्या 331/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	4/5/24	वादी क० उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादपत्र का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज दि. किया. [illegible] / डिक्री जारी हो। पत्रावली के [illegible] [illegible] [illegible] नियमानुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–331/2013

उनवान

1. भगवाना पुत्र रुडाराम माली
2. नारायण पुत्र गुल्लाराम
3. मोहनलाल पुत्र गुल्लाराम
4. श्योपाल पुत्र गुल्लाराम

समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1. जिला कलक्टर, जयपुर
2. उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 82, 188 रा0 टि0 एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 04.04.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 1232/2406 रकबा 0.04 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1233/2407 रकबा 0.02 हैक्टेयर सिवायचक लगान कृषि भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में चाही 1 अंकित है एवं हमारे पुराने खातेदारी की भूमि है जो सहवन से सिवायचक लगानी अंकित हो गई है पर वादीगण का कदीमी कब्जा है एवं उस पर रबी, खरीफ एवं जायद रबी की काश्त नियमित रुप से की जा रही है एवं उपरोक्त भूमि में अरडू, नींबू, बेर, लेसबा, गोबी एवं कासनी इत्यादि के पेड भी लगाकर हॉर्टिकल्चर का उपयोग भी किया जा रहा है जिसके आसपास निम्न प्रकार है :– (1) पूरब दिशा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरिया (2) पश्चिम दिशा में वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1232, (3) उत्तर में खेजरोली रोड से ग्राम उदयपुरिया में जाने का आम रास्ता, (4) दक्षिण दिशा में वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 1233। आराजी खसरा नम्बर 591 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा बारानी–1 भूमि हमारे पडदादा गिद्धा वगै0 ने यह भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुरिया में पढनं वाले बालक–बालिकाओं के हित में खेल–कूद के मैदान के लिए दान कर दी थी जिसमें वर्तमान में स्कूल संचालित है एवं उसके वर्तमान खसरा नम्बर 1234 है। गलती से नवीन खसरा नम्बर 1232/2406 रकबा 0.0400 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1233/2407 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 1236/2408 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि सिवाय चक लगानी अंकित कर दी गई जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

स्तव में यह भी पुराने खसरा नम्बर 591 से ही बने है एवं वर्तमान में ग्राम उदयपुरिया के राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमियां सहवन से सिवायचक लगानी अंकित कर दी गई जबकि हमारी पैतृक कृषि खातेदारी भूमियां हैं। राज्य सरकार ने अभी हाल ही मे 'प्रशासन गांवों के संग अभियान 10 जनवरी से 28 फरवरी 2013 में गांव की समस्याओं का मौके पर समाधान करने हेतु जो शिविर आयोजित किये गये है एवं उसकी जो विज्ञप्ति जारी की गई है उस विज्ञप्ति की क्रम संख्या 1 पर निम्न प्रकार की अधिसूचना जारी की गई हैं :– अधिसूचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जनवरी 2005 से पूर्व सिवायचक भूमि पर कृषि हेतु किये गये अतिक्रमण, सिवायचक एवं गैर मुमकिन राजस्व भूमि पर आवास व पशुओं के बाडे बनाकर किये गये अतिक्रमणों के नियमन निर्धारित शर्तों पर किये जायेंगें। उपरोक्त भूमि के बाबत् दिनांक 12 फरवरी 2013 को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 90 सी.पी.सी. आराजी खसरा नम्बर 1232/2406 रकबा 0.0400 एवं खसरा नम्बर 1233/2407 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रशासन गांवो के संग अभियान में जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत दिया गया एवं यह निवेदन किया गया कि :– यह कि मेरे अभिभाष्यगण के विरुद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्पादित की जा रही है जबकि पुरातन कब्जे का आधार पर यह कृषि भूमि जो सिवायचक लगानी है मेरे अभिभाष्यगण को कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 20 के अन्तर्गत आज से पूर्व में नियमित की जानी चाहिये भी जो नहीं की जा रही है। आपके अधिनस्थ पटवारी हल्का उदयपुरिया तहसील चौमूं ने सम्वत् 2054 में 40.00 एवं 80.00 रुपये मेरे अभिभाष्यगण से बतौर पैनल्टी वसूल की है एवं इसी तरह सम्वत् 2056 में भी बतौर पैनल्टी 40.00 एवं 80.00 रुपये क्रमशः दिनांक 24.12.1997 एवं 28.01.2001 को वसूल किये है जो कि कब्जे काश्त का अकाट्य प्रमाण है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के प्रपत्र क्रमांक प(6)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के अन्तर्गत 01.01.2000 तक के सिवायचक भूमि पर कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के आदेश जारी किये गये है एवं मेरे अभिभाष्यगण को उपर्युक्त प्रकरण उक्त परिपत्र की परिधि में नियमन योग्य है। अतः इस नोटिस के माध्यम से इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन की अवधि में उपरोक्त भूमि मेरे अभिभाष्यगण के नाम नियमन योग्य है। अतः इस नोटिस के माध्यम से इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन की अवधि में उपरोक्त भूमि मेरे अभिभाष्यगण के नाम नियमन करते हुए उन्हें कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के उप नियम 20 के अन्तर्गत सिवायचक भूमि को नियमित करते हुए मेरे अभिभाष्यगण के नाम अंकित करने की कार्यवाही करें अन्यथा मजबूर होकर मेरे अभिभाष्यगण को लीगल कार्यवाही करनी होगी जिसके आप जिम्मेवार होंगे। उपरोक्त नोटिस के बावजूद भी नोटिस के अन्तर्गत सिवायचक लगान नम्बर वादीगण के नाम अंकित नहीं किये गये अतः उपरोक्त भूमि की दुरुस्ती की जाकर राजस्व रिकॉर्ड से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:39 IST
Reason: Self-Attested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

(स)वाय चक लगानी शब्द हटाकर वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने हेतु यह (वा)द सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 13.04.2013 को प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान यह जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1232/2406 एवं 1233/2407 की भूमि किन्हीं अन्य को आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसके बाबत् तत्काल ही एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि इन नम्बरान पर वादीगण का पुराना कब्जा है एवं पेनल्टी भी अदा की जा रही है अतः उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को नियमन नहीं की जावें। प्रशासन गांवो के संग अभियान में संधारित पंजिक में उपरोक्त प्रार्थना पत्र क्रम संख्या 11 पर दर्ज करा दिया गया है एवं वाद कारण जो प्रशासन गांव के संग अभियान की विज्ञप्ति अवधि 10 जनवरी से 28 फरवरी 2013 को जारी की गई थी उसके क्रम में दिनांक 04.02.2013 को शिविर प्रभारी महोदय, ग्राम पंचायत लोहरवाडा, पंचायत समिति गोविन्दगढ को भी एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ खसरा परिवर्तन काश्त एवं रसीदें ढाल बाछ तादादी 2 वर्ष 1977 व 2001 की भी प्रस्तुत की गई थी एवं दिनांक 12 फरवरी 2013 को जो 80 सीपीसी का नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 13.04.2013 को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर वाद कारण दिनांक 04.02.2013 को उत्पन्न होकर बरकरार चला आ रहा हैं।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1232/2406 रकबा 0.0400 एवं खसरा नम्बर 1233/2407 रकबा 0.0200 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमायी जावे कि उपरोक्त भूमि पर किसी तरह की दखलअन्दाजी या हस्तक्षेप न स्वयं करें न किसी अन्य से करावें एवं यह भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 की ओर से जवाब दावा में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1232/2406 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा नम्बर 1233/2407 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि प्रारम्भ से ही राजस्व रिकॉर्ड में सहाई चक लगानी दर्ज है जिस पर प्रारम्भ से ही सरकार का आधिपत्य रहा है तथा वर्तमान में भी है, जिस पर वादीगण नाजायज अवैध कब्जा करना चाहते है। उक्त भूमि पर ना तो [illegible] गई, ना ही वर्तमान में है। राजस्थान टिनेन्सी एक्त के प्रावधानों के अनुसार [illegible] भूमि नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि की खातेदारी नियमानुसार [illegible] जा सकती है। उक्त भूमि मिन प्रतिवादीगण संख्या 4 की सरकारी उपयोग की भूमि [illegible] जिस हेतु यह वाद प्रारम्भतः ही पेश रफ्त ही नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rattan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं ने अपनी रिपोर्ट में बयान किया कि ग्राम उदयपुरिया के गत खसरा नम्बर 591 से नये बने खसरा नम्बर 1234, 1354, 1365, 1361, 1362, 1362/2406, 1233/2407, 1236/2408 कुल किता 8 का कुल रकबा 1.70 हैक्टेयर बने है। जो मिसल बन्दोबस्त संख्या 2046–65 के अनुसार सरकारी खाते में दर्ज रिकॉर्ड है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात, प्रतिवादी संख्या 4 के जवाब एवं तहसीलदार चौमूं से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी का वाद घोषणा, व स्थायी निषेधाज्ञा का है। लेकिन वादी का विवादित भूमि में कब्जे काश्त ही नहीं है ना ही यह वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह भूमि सरकारी खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे वादी को स्थाई निषेधाज्ञा में अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ना ही वादी ने साक्ष्य पेश किये है। ऐसे में वादी का वाद कब्जे के अभाव एवं साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

1. भगवाना पुत्र रुडाराम माली
2. नारायण पुत्र गुल्लाराम
3. मोहनलाल पुत्र गुल्लाराम
4. श्योपाल पुत्र गुल्लाराम

समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1. जिला कलक्टर, जयपुर
2. उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 92 एवं 188 रा0 टि0 एक्ट

मुकदमा नं0:–331/2013

निर्णय दिनांक:– 04.04.2024

वादी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता व वादी स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2021 को पीठासीन अधिकारी रतन कौर (आर.ए.एस.)के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का विवादित भूमि में कब्जे काश्त ही नहीं है ना ही यह वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह भूमि सरकारी खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे वादी को स्थाई निषेधाज्ञा में अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ना ही वादी ने साक्ष्य पेश किये है। ऐसे में वादी का वाद कब्जे के अभाव एवं साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.04.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रे0)चौमूं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner